

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011  
जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)  
दिनांक 28-02-2020  
पत्रांक – SSA/438

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

MANAS BHUMI SENIOR SECONDARY SCHOOL, DINAKR NAGAR, NALANDA

विषय- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा विद्यालय की प्रश्नोकृति नवनीकरण का प्रमाण पत्र।

नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रश्नोकृति नवनीकरण का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन—पत्र और उसके क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में दिनांक—21.02.2020 को निजी विद्यालय प्रश्नोकृति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय MANAS BHUMI SENIOR SECONDARY SCHOOL, DINAKR NAGAR, NALANDA को कक्षा I से V/VIII कक्ष तक लग हेतु सत्र 2022–2023 तक के लिए औपचारिक प्रश्नोकृति अवधि विरतार की जाती है।

तक के लिए औपचारिक प्रश्नोकृति निम्न – शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

प्रदत प्रश्नोकृति निम्न – शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

01. प्रश्नोकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का अपने पड़ोस के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेंगे।

05. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।

06. विद्यालय, किसी बच्चे के नामांकन लेने से उसके उम्र प्रमाण पत्र तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।

07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे।

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उर्तीण करने के संबंध में समय समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदअनुरूप दिये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारम्भिक परीक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण – पत्र प्रदान किया जाएगा।

  
Gajak Kumar  
School Manager

Manas Bhumi Sr. Sec. School  
Dinkar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

  
Shastri  
Principal

Manas Bhumi Senior Secondary School  
Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111

- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग / निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की अवधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- vii. शिक्षक निजी – रत्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण – गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालिक रूप से छात्रों का नामांकरण करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रवीकार्य कक्ष विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर, विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समुह अथवा व्यक्तियों के संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राप्तिशो एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजा जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवित प्रस्तीकृति कोड संख्या – 20140227/2014 एवं यू-डायस कोड 10271903505 है। इस कार्यलय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड का कृपया अनिवार्य रूप से अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. विभाग के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लागतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. आपके विद्यालय का औपचारिक अवधि विस्तार करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना / अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों की प्रस्तीकृति रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

W/28/2  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
नालंदा।

झापांक – SSA/438 / विहारशरीफ दिनांक 28-02-2020

प्रतिलिपि— श्री वृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, नालंदा / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालंदा / एमोआई०एस०, प्रभारी, एस०एस०ए०, नालंदा / संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला-नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Q

Gadut Kumar  
School Manager  
Manas Bhumi Sr. Sec. School  
Dinkar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

Utkashank  
Principal

Manas Bhumi Senior Secondary School  
Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111

W/28/2  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
नालंदा।

प्रपत्र-2

390

**जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)**

सेवा में

पत्रांक - BEP/SSA-RTE/PVT School/1122/2011/Part-II-2012/-

1988

दिनांक 16.9.14

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

Manas Bhumi Senior Secondary Deep Nagar, Silao ।

विषय :—बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।  
महाशय / महाशया,

आपके आवेदन और उसके क्रम में विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय—Manas Bhumi Senior Secondary Deep Nagar, Silao को कक्षा I से V/VIII तक संचालन हेतु प्रस्तीकृति तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है—  
प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:—

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कड़िका 3 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कॉलिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से— उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:—
  - (क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - (ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (इ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (ज) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
  - (झ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (ज) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण—गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

*k singh*  
15/9/14

3

PTO

- 8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
- 10 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः—

विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल.	10980 sq mt
कुल निर्मित क्षेत्र	
खेल के मैदान का क्षेत्र	
वर्गकक्षों की कुल संख्या	23
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडार कक्ष	2
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय	8
पेयजल की सुविधा	8
मस्थाहन भोजन के लिए रसोई-घर	n
बाधारहित पहुँच	No
शिक्षण अधिगम सामाग्री / खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय	yes

- 11 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
- 12 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- 13 विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
- 16 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या—20140227/2014 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 17 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18 यदि सोसाइटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 19 विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा, निःशक्त बच्चों हेतु बाधायुक्त व्यवस्था, रसोईघर एवं बच्चों की मुफ्त एवं अन्दर पुरा करेगा एवं संसूचित करेगा।
- 20 अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
- 21 किसी भी समय संशय/अस्पष्टता/भ्रम की विधि में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मान्य होगा।

प्रियशासनाजन

२३११५

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान-सह-सचिव  
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति नालदा।

ज्ञापाक—BEP/SSA-RTE/PVT School/1122/2011/Part-II-2012/...../1988...../विहारशरीक दिनांक 16.9.14

प्रतिलिपि— जिला शिक्षा पदाधिकारी नालदा/श्री वृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना—शिक्षा/रामायणी030/यो0 एवं ले0)/प्रमारी, एम0आई0एस0, विभिन्न0प0/सचिव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नालदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२३११५

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान-सह-सचिव  
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति नालदा।

Sachit Kumar  
School Manager

Manas Bhumi Sr. Sec. School  
Dinkar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

G. S. S. S.  
Principal

Manas Bhumi Senior Secondary School  
Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111